संख्या-11/2018/485/क0नि0प्र0/26-3-2018-20(59)/2000

प्रेषक,

सुधा श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, **लखनऊः दिनांकः 26 मार्च,2018**

समाज कल्याण विभाग

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत अतिरिक्त लक्ष्यों के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति वर्ष 2017-18**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत अतिरिक्त लक्ष्यों के सापेक्ष रू0 220.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति संबंधी शासनादेश संख्या-10/2018/349/क0नि0प्र0/26-3-2018-20(59)/2000 दिनांक 21 मार्च,2018 के प्रस्तर-1 के शर्त/प्रतिबन्ध संख्या-3 एवं 6 समान्तर होने के दृष्टिगत प्रस्तर-1 के शर्त/प्रतिबन्ध संख्या-6 को निम्नवत् पढ़ा/समझा जायः-

"6- निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत विभागीय अधिकारियों का दायित्व होगा कि वह चयनित लाभार्थियों की सूची प्राप्त होने पर आधार फीडिंग अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करेगें ताकि बोगस अथवा पुनरावृत्ति बोरिंग की संभावना न हो।"

2- उक्त शासनादेश संख्या-10/2018/349/क0नि0प्र0/26-3-2018-20(59)/2000 दिनांक 21 मार्च, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढा जाय तथा शासनादेश दिनांक 21 मार्च, 2018 की शेष शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

संलग्नः- यथोक्त।

भवदीया,

सुधा श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-11/2018/349(1)/क0नि0प्र0/26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3- प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य विकास अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) जनपद-बस्ती, बहराइच एवं महाराजगंज।
6- वित्त(व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7- एन0आई0सी0 की प्रति।
8- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुधा श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।